

# फर्द अहकाम

बनाम

नाम न्यायालय : सहायक कलक्टर, बस्सी  
 राजस्व चाद/प्रार्थना पत्र/मुकदमा नम्बर : 185/2023

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
	6/5/24	पत्रावली पेश हुई। वकील जी की अज्ञात स. 9 34। पत्रावली वास्ते जवाब में की गयी अज्ञातगीत की इतना ही तलब है कि 27/5/24 को पेश हो	नय : प्रार्थन क आ कार्यवा
	27/5/24	पत्रावली पेश की 20 माह बीते नाम बनाम ... कारण कार्यवाही ... पत्रावली दिनांक... 15/7/24 ... पेश हो। प्रार्थी अधिकार ने प्र. पत्र 06R17 बीपीसी पेश किया।	
	15/7/24	पत्रावली पेश हुई प्रार्थी अधिकार एवं अप्रार्थी ल. 1 लग 8, 9 के अधिकार उपस्थित। अप्रार्थी ल. 1 लग 8 का वकालतनाम प्र. में मूलवाद में पेश हुआ है जो मूल वादपत्र में संलग्न है। मूल वादपत्र में प्रार्थना पत्र 06R17 बीपीसी स्वीकार किया जाकर खसरा न. 638 के 639 एवं खसरा न. 831 व 832 का रकबा 0.5200 हेक्टेर शुद्ध किया जाने के आदेश प्रदान किये गये हैं अतः इस प्रार्थना पत्र में पैरा न. 9 में खसरा न. 638 के स्थान पर 639 एवं पैरा न. 11, 12, 13, 14 में खसरा न. 831 व 832 का कुल रकबा 0.5200 हेक्टेर लिखा पटा हुआ जावे। उभयपक्ष अधिकारता की प्रार्थना पत्र अज्ञातगी निकेदाज्ञा पर बहस हुनी गयी। अप्रार्थी अधिकारता ने प्रार्थना पत्र अज्ञातगी	

लय : सहायक कलक्टर, बस्सी

प्रार्थना पत्र/मुकदमा नम्बर : 185/2023

क आज्ञा  
कार्यवाही

आज्ञा विस्तृत रूप से

विशेष ति

निषेधाज्ञा पर सीधे बदल की  
पत्रावली पर उपलब्ध फातावेजों का  
अवलोकन करने एवं उभयपक्षों का विवरण  
की हौराई बदन आदि तथ्यों पर मनन  
करने के उपरान्त वादग्रस्त आराजी खसरा  
नं. 796, 797, 801 स्थित ग्राम ग्वालिनी  
प. ट. माधोगढ़ तह. लूंगा जि. जयपुर के  
संबंध में उभयपक्षों की जरूरत अनुसार  
निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि  
उभयपक्ष उक्त विवादित आराजी पर ताकत  
वाद के मौके एवं रिकार्ड की यथास्थिति  
बनाये रखें।

पत्रावली फेलत कुमार होकर नम्बर  
से कम है।

l m n